

समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला भविष्य निधि कोषांग)

—: अल्पकालिक निविदा आमंत्रण सूचना :-

समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी अन्तर्गत जिला भविष्य निधि कार्यालय, मोतिहारी के लिए Silent Water Cooled (Single Phase) 7.5 KVA क्षमता के जेनरेटर का DGS&D मानक एवं प्रावधानों के अनुरूप कय हेतु प्राप्त निर्माता अथवा उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है:-

निविदा दिनांक 06-02-2014 के अपराह्न 3:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरियर के माध्यम से जिला भविष्य निधि कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला कय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोले जाने के समय निविदा दाता या प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

इससे संबंधित सूचना पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के वेबसाईट eastchampan.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
निविदा अलग-अलग दो मुहर बंद लिफाफा में निम्नवत् शर्तों के अधीन देना होगा।

A- तकनीकी निविदा (लिफाफ-ए) Envelope A


- 1 निविदा दाता को जमानत के रूप में कुल 10,000:00 (दस हजार) रू० का बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चेक जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदनाम से संलग्न करना होगा।
- 2 निविदा दाता फर्म को आयकर रिटर्न अद्यतन एवं पैन नम्बर की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
- 3 निविदा दाता फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT) निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4 निविदा दाता का प्रतिष्ठान किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है से संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 5 निविदा दाता फर्म को निर्माता/प्राधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।


B- वित्तीय निविदा (लिफाफ-बी) Envelope B

- 1 लिफाफ बी में जेनसेट का दर सभी कर सहित होगा तथा अधिष्ठापन मूल्य अलग से अंकित करना होगा।

अन्य शर्त :-

- 1 सर्वप्रथम तकनीकी निविदा (लिफाफ ए) को खोला जायेगा एवं सभी कागजातों के जांचोपरांत संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनसे संबंधित वित्तीय निविदा (लिफाफ बी) खोला जायेगा।
- 2 जेनसेट आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर जेनसेट अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय हेतु अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।
- 3 जेनसेट आपूर्ति के लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। जेनरेटर के मूल्य का भुगतान आवश्यक कर/वैट इत्यादि की कटौती एवं गुणवत्ता जॉच के उपरान्त ही किया जाएगा।
- 4 निर्धारित अवधि के अंदर जेनसेट की आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता के जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5 निविदाकर्ता को आपूर्ति किये जाने वाले जेनसेट का कम से कम दो वर्ष की गारंटी देनी होगी।
- 6 सामग्री की आपूर्ति समाहरणालय स्थित जिला भविष्य निधि कार्यालय, मोतिहारी में करनी होगी।
- 7 निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8 निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
- 9 जिला पदाधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


20.1.14
जिला भविष्य निधि पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी


जिला पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।